सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

मांग संख्या 61

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3707.90	21.09	3728.99	3955.12	25.65	3980.77	4156.35	25.65	4182.00	4661.16	30.84	4692.00
वसूलियां	*-4.79*	...	-4.79	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**3703.11**	**21.09**	**3724.20**	**3955.12**	**25.65**	**3980.77**	**4156.35**	**25.65**	**4182.00**	**4661.16**	**30.84**	**4692.00**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय												
1.01 सचिवालय	85.45	...	85.45	97.59	...	97.59	112.83	...	112.83	110.56	0.19	110.75
	-0.03	...	-0.03	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*85.42*	...	*85.42*	*97.59*	...	*97.59*	*112.83*	...	*112.83*	*110.56*	*0.19*	*110.75*
1.02 कला एवं संस्कृति	10.52	...	10.52	13.20	...	13.20	22.65	...	22.65	27.99	...	27.99
1.03 सूचना एवं प्रचार	403.90	...	403.90	472.08	...	472.08	449.36	...	449.36	391.87	4.89	396.76
	-3.09	...	-3.09	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*400.81*	...	*400.81*	*472.08*	...	*472.08*	*449.36*	...	*449.36*	*391.87*	*4.89*	*396.76*
निवल	*496.75*	...	*496.75*	*582.87*	...	*582.87*	*584.84*	...	*584.84*	*530.42*	*5.08*	*535.50*
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2. प्रसार भारती												
2.01 प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास	161.68	...	161.68	315.00	...	315.00	315.00	...	315.00	...	...	...
3. सूचना												
3.01 विकासपरक संचार तथा सूचना का प्रचार-प्रसार	211.21	...	211.21	184.00	...	184.00	194.00	...	194.00	...	...	...
4. फिल्म												
4.01 विकास संचार और फिल्म सम्बन्धी विषय वस्तु का प्रसार	56.76	21.09	77.85	101.51	25.65	127.16	101.35	25.65	127.00	...	...	...
5. प्रसारण संबंधी कार्यकलापों का सुदृढ़ीकरण												
5.01 भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहायता	1.92	...	1.92	3.84	...	3.84	3.00	...	3.00	...	...	...
6. प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास	...	...	...	...	...	...	...	...	...	600.00	...	600.00
7. विकास संचार और फिल्मों में अंतर्निहित विषय का प्रसार	...	...	...	...	...	...	...	...	...	274.24	25.76	300.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8. विकास संचार और सूचना संबंधी प्रसार	...	...	...	...	...	...	...	...	...	200.00	...	200.00
9. भारत में कम्यूनिटी रेडियो अभियान को सहायता	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**431.57**	**21.09**	**452.66**	**604.35**	**25.65**	**630.00**	**613.35**	**25.65**	**639.00**	**1079.24**	**25.76**	**1105.00**
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
10. स्वायत्तशासी निकायों को सहायता												
10.01 प्रसार भारती	2629.03	...	2629.03	2555.29	...	2555.29	2764.51	...	2764.51	2808.36	...	2808.36
	-1.67	...	-1.67	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*2627.36*	...	*2627.36*	*2555.29*	...	*2555.29*	*2764.51*	...	*2764.51*	*2808.36*	...	*2808.36*
10.02 भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे	42.67	...	42.67	55.39	...	55.39	68.53	...	68.53	64.75	...	64.75
10.03 एसआरएफटीआई कोलकाता	63.62	...	63.62	74.30	...	74.30	60.10	...	60.10	95.13	...	95.13
10.04 बाल फिल्म सोसाइटी, भारत (सीएफएसआई)	2.14	...	2.14	3.74	...	3.74	3.43	...	3.43	...	...	...
10.05 भारतीय जनसंचार संस्थान	27.15	...	27.15	52.00	...	52.00	41.00	...	41.00	44.67	...	44.67
10.06 भारतीय प्रैस परिषद	11.85	...	11.85	27.18	...	27.18	10.56	...	10.56	18.21	...	18.21
जोड़- स्वायत्तशासी निकायों को सहायता	*2774.79*	...	*2774.79*	*2767.90*	...	*2767.90*	*2948.13*	...	*2948.13*	*3031.12*	...	*3031.12*
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
11. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	...	...	...	...	...	...	10.03	...	10.03	20.38	...	20.38
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	**2774.79**	**...**	**2774.79**	**2767.90**	**...**	**2767.90**	**2958.16**	**...**	**2958.16**	**3051.50**	**...**	**3051.50**
कुल जोड़	***3703.11***	***21.09***	***3724.20***	***3955.12***	***25.65***	***3980.77***	***4156.35***	***25.65***	***4182.00***	***4661.16***	***30.84***	***4692.00***
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. कला और संस्कृति	10.52	...	10.52	13.20	...	13.20	22.65	...	22.65	27.99	...	27.99
2. सूचना और प्रचार	818.13	...	818.13	942.04	...	942.04	908.46	...	908.46	1063.75	...	1063.75
3. प्रसारण	2789.04	...	2789.04	2839.29	...	2839.29	3048.51	...	3048.51	3348.36	...	3348.36
4. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	85.42	...	85.42	97.59	...	97.59	112.83	...	112.83	110.56	...	110.56
5. सूचना और प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	...	21.09	21.09	...	25.65	25.65	...	25.65	25.65	...	30.84	30.84
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**3703.11**	**21.09**	**3724.20**	**3892.12**	**25.65**	**3917.77**	**4092.45**	**25.65**	**4118.10**	**4550.66**	**30.84**	**4581.50**
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	63.00	...	63.00	63.90	...	63.90	110.50	...	110.50
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**63.00**	**...**	**63.00**	**63.90**	**...**	**63.90**	**110.50**	**...**	**110.50**
कुल जोड़	**3703.11**	**21.09**	**3724.20**	**3955.12**	**25.65**	**3980.77**	**4156.35**	**25.65**	**4182.00**	**4661.16**	**30.84**	**4692.00**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसलटैन्टस इंडिया लिमिटेड	...	222.26	222.26	...	201.39	201.39	...	211.84	211.84	...	196.34	196.34
2. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	...	-6.73	-6.73	...	...	...	10.00	187.84	197.84	20.38	159.90	180.28
जोड़	**...**	**215.53**	**215.53**	**...**	**201.39**	**201.39**	**10.00**	**399.68**	**409.68**	**20.38**	**356.24**	**376.62**

1.01. **सचिवालय:** इसके अंतर्गत मुख्य सचिवालय तथा प्रधान लेखा कार्यालय के लिए स्थापना व्यय को कवर किया जाता है।

1.02. **कला एवं संस्कृति:** इसके अंतर्गत केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से संबंधित व्य य को शामिल किया जाता है। इसमें पूर्ववर्ती मीडिया यूनिटों नामत: फिल्म प्रभाग, राष्ट्री य फिल्म संग्रहालय और फिल्मं समारोह निदेशालय के बंद होने के बाद से दिनांक 01.01.2023 से अधिशेष कर्मचारी स्थापना (एसएसई) के लिए भी प्रावधान शामिल है।

1.03. **सूचना एवं प्रचार:** इसके अंतर्गत इस मंत्रालय के निम्नलिखित मीडिया यूनिटों पर किए जाने वाले स्था पना संबंधी व्यय को शामिल किया जाता है:-

(i) केंद्रीय संचार ब्यूरो (पूर्ववर्ती लोक संपर्क और संचार ब्यूरो) – इसमें कार्यकलापों अर्थात विज्ञापन एवं अन्य मुद्रित सामग्रियों के साथ-साथ रेडियो, टेलीविजनों, प्रदर्शनियों एवं अन्य बाह्य प्रचार मीडिया के माध्यम के जरिए प्रचार अभियान, फिल्म शो, लाइव मीडिया कार्यक्रम, फोटो प्रदर्शनियों तथा सेमिनारों के माध्यम से विकासात्मक संचार शामिल हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों सहित आम जनता में जागरूकता पैदा की जा सके।

(ii) पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) - यह सरकार और प्रेस के बीच एक माध्यम के रूप में कार्य करता है तथा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की प्रचार तथा जन संपर्क संबंधी आवश्यतकताओं को पूरा करने के साथ-साथ भारत के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय उपराष्ट्रपति के दैनिक आयोजनों की आधिकारिक फोटो कवरेज करता है। यह भारत सरकार की ओर से आंतरिक तथा बाह्य प्रचार हेतु दृश्यी प्रलेखन तथा फोटोग्राफों को तैयार करने के लिए भी उत्तहरदायी है।

(iii) प्रकाशन विभाग - यह मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के व्यय के लिए प्रावधान करता है जो अंग्रेजी, हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में विविध विषयों पर सशुल्क पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य मुद्रित सामग्री का प्रकाशन करता है। प्रकाशन विभाग अंग्रेजी, हिंदी तथा उर्दू में साप्ताहिक 'एंप्लायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार' का भी प्रकाशन करता है।

(iv) न्यूं मीडिया विंग – यह मंत्रालय और उसकी मीडिया यूनिटों, विदेशों में भारतीय मिशनों तथा समाचार पत्रों एवं मीडिया एजेंसियों के लिए सहायता प्रदान करने हेतु मीडिया के हित से जुड़े विषयों पर मूलभूत सूचना एकत्र करने तथा उनकी तुलना करने का कार्य करता है।

(v) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आरएनआई) – यह समाचारपत्रों/ आवधिकियों के लिए शीर्षकों के सांख्यिकीय रिकॉर्डों का रखरखाव करने/उनका सत्यापन करने का कार्य करता है। यह समाचारपत्रों/आवधिकियों के संबंध में पंजीकरण प्रमाणपत्र भी जारी करता है।

(vi) इसमें संचार विकास के लिए अंतर्राष्ट्री य कार्यक्रम (आईपीडीसी) के लिए अंशदान, एशियाई प्रसारण विकास संस्थान (एआईबीडी) के लिए अंशदान, एनएफएआई द्वारा अंतर्राष्ट्री य अभिलेखागार संगठनों की सदस्यता को अंशदान तथा प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन संबंधी प्रावधान भी शामिल हैं।

vii. फिल्म प्रभाग, राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय और फिल्म समारोह निदेशालय नामक मीडिया यूनिट दिनांक 01.01.2023 से बंद कर दिए गए है। इन मीडिया यूनिटों के अधिशेष कर्मचारियों के वेतन संबंधी व्यय को सीबीएफसी के प्रावधानों से पूरा किया जाएगा जहां एसएसई की स्थापना की गई है। इन मीडिया यूनिटों के कार्यकलापों का विलय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के साथ कर दिया गया है जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) है।

viii इलेक्ट्रॉ निक मीडिया मॉनीटरिंग केंद्र - इसके अंतर्गत टेलीविजन चैनलों/रेडियो द्वारा कार्यक्रम संहिता तथा विज्ञापन संहिता के उल्लंघन की निगरानी करने का प्रावधान किया गया है।

6. **प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास:** इसमें प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास का प्रावधान शामिल है।

7. **विकास संचार और फिल्मों में अंतर्निहित विषय का प्रसार:** इसके प्रावधान विकासपरक संचार तथा फिल्मी सामग्रियों का प्रचार-प्रसार स्कीम पर व्यय को शामिल करते हैं। यह स्कीम फिल्म प्रभाग, फिल्म समारोह निदेशालय, राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय और बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा कार्यान्वित की थी। चूंकि, अब इन संस्थानों का विलय दिनांक 01.01.2023 से भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में कर दिया गया है, अतः यह योजना भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।

8. **विकास संचार और सूचना संबंधी प्रसार:** इसमें विकासपरक संचार तथा सूचना का प्रचार-प्रसार स्कीम से संबंधित व्यय शामिल है।

9. **भारत में कम्यूनिटी रेडियो अभियान को सहायता:** यह भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलनो को सहायता स्कीम के व्यय को शामिल करता है। इसका उद्देश्य सामुदायिक रेडियो अभियान को सहायता प्रदान करना है जो विशेषकर ऐसे समुदाय, जो पढ़-लिख नहीं सकते, के लिए एक आवश्यक संचार उपकरण है ।

10.01. **प्रसार भारती:** इसमें प्रसार भारती में धारित प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान शामिल है।

10.02. **भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे:** इसमें अब वित्तीय वर्ष 2020-21 से एफटीआईआई के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए एफटीआईआई (पुणे) को सहायता-अनुदान के तहत पूर्ववर्ती स्कीम आवंटन शामिल है।

10.03. **एसआरएफटीआई कोलकाता:** इसमें अब वित्तीय वर्ष 2020-21 से एसआरएफटीआई (कोलकाता) में अवसंरचना विकास के तहत पूर्ववर्ती स्कीम आवंटन शामिल है।

10.04. **बाल फिल्म सोसाइटी, भारत (सीएफएसआई):** केंद्र सरकार के दिनांक 01.01.2023 के निर्णय के अनुसार अब इस संगठन का भारतीय फिल्म विकास निगम में विलय कर दिया गया है। इसलिए यह प्रविष्टि वित्त वर्ष 2023-24 से अप्रचलित हो जाएगी।

10.05. **भारतीय जनसंचार संस्थान:** इसमें अब वित्तीय वर्ष 2020-21 से (i) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आईआईएमसी का उन्नयन , (ii) आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्रों को खोलना और (iii) राष्ट्रीय एनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करना के तहत पूर्ववर्ती स्कीम आवंटन शामिल हैं।

10.06. **भारतीय प्रैस परिषद:** इसमें भारतीय प्रैस परिषद (पीसीआई) के गैर-स्कीम संबंधी व्यय शामिल किए गए हैं

11. **राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम:** एनएफडीसी, (सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) एक नई प्रविष्टि है जिसके लिए आरई 2022-23 से बजटीय प्रावधान किया गया है।